Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 93: Credit of the amount of rejected refund claim

- (1) Where any deficiencies have been communicated under sub-rule (3) of rule 90, the amount debited under sub-rule (3) of rule 89 shall be re-credited to the electronic credit ledger.
- (2) Where any amount claimed as refund is rejected under rule 92, either fully or partly, the amount debited, to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by an order made in FORM GST PMT-03.

Explanation—For the purposes of this rule, a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking in writing to the proper officer that he shall not file an appeal.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 93 : अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय

- (1) जहां नियम 90 की उप—नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप—नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा।
- (2) जहां किसी प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, प्ररूप जीएसटी पीएमटी—03 में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण-इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।